न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, अम्बेडकर नगर।

CNR No.–UPAN010006842021

विद्युत दाण्डिक वाद संख्या– 47/2021

उ०प्र० राज्य – – – बनाम – – – माहिर मेहंदी आदि।

मु०अ०सं०–279/2018
धारा– 135–1(a) विद्युत अधिनियम
थाना–अकबरपुर,
जिला–अम्बेडकर नगर।

दिनांकः 09.03.2024

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी माहिर मेहंदी मय वि० अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दि० 07.03.2024 मय शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण को विद्युत वितरण खण्ड निगम लिमिटेड, अकबरपुर में जमा कर दिया है तथा अधिशाषी अभियंता द्वारा सम्पूर्ण भुगतान का पत्र जारी कर दिया गया है। प्रार्थी पर कोई धनराशि बकाया नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमा को समाप्त करने की कृपा की जाये। प्रार्थना पत्र के साथ विद्युत भुगतान रसीद तथा अदेयता प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं।

विद्वान अधिवक्ता विद्युत विभाग द्वारा यह कथन किया गया कि विभाग के पत्र के अनुसार शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा है। मुकदमा समाप्त किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जमा विद्युत बिल की रसीदें व अधिशाषी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 06.03.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्गत पत्र पत्रावली पर मूल रूप में भी संलग्न है जिसके अनुसार, माहिर मेहंदी ने शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि खण्ड कार्यालय में जमा कर दिया है, एफ०आई०आर० की कार्यवाही समाप्त करने का कष्ट करें।

धारा 152 विद्युत अधिनियम अपराधों के समाधान (Compounding of offences) से सम्बंधित है। उक्त अधिनियम की **धारा 152(2) के अनुसार, "धनराशि का सन्दाय कर दिए जाने पर उस अपराध के सम्बंध में अभिरक्षा में रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी।"**

चूँकि इस प्रकरण में विभाग द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क प्राप्त किया जा चुका है तथा विद्वान अधिवक्ता विद्युत विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः मामले के समस्त तथ्य

एवं परिस्थितियों तथा उपर्युक्त विधिक उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त माहिर मेहंदी के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग विचारण योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त माहिर मेहंदी के विरूद्ध पंजीकृत उक्त अभियोग समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त माहिर मेहंदी के विरूद्ध पंजीकृत उक्त अभियोग की कार्यवाही विद्युत अधिनियम की धारा 152(2) के अनुसार समाप्त की जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 08.04.2024 को पेश हो।

दिनांक: 09.03.2024

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02,
अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड– UP 1561

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2024.03.09 17:19:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court